

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

— :: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5.3.2018 द्वारा विशेषज्ञ संवर्ग की अधिकारी डॉ. श्रीमती रंजना गुप्ता (01.04.2004 की वरीष्ठता सूची में वरियता क्रमांक 24) को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान तिथि 02.10.2011 से स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 7.3.2018 द्वारा पात्रता तिथि 02.10.2011 के स्थान पर 02.01.2011 पढ़े जाने संबंधी आदेश जारी किये गये।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग द्वारा जारी किया गया उक्त संशोधन आदेश दिनांक 07.03.2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14/03/2018

पृ० क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर डॉ. श्रीमती रंजना गुप्ता के आदेश की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के अलावा यह आदेश डॉ. श्रीमती गुप्ता को प्रदाय कराकर प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करें।
 4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 5. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 6. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश।
 9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
 10. डॉ. श्रीमती रंजना गुप्ता द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र.।
 11. आदेश नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

- :: संशोधन आदेश :: -

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.03.2018 में डॉ. श्रीमती रंजना गुप्ता के नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 5 में पात्रता तिथि 02.10.2011 के स्थान पर 02.01.2011 पढ़े जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 07/03/2018

पृ.क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
6. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित अधिकारी
11. आदेश नस्ती।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:- आदेश :-

भोपाल, दिनांक 05/03/2018

क्रमांक एफ 9-3/2018/सत्रह/मेडि-1 :-माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की याचिका क्रमांक 15022 में पारित निर्णय दिनांक 14.1.2015 के पालन में विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने दर्शित आगामी वेतनमान वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स.क्र.	01.04.2004 की वरिष्ठता सूची में वरीयता क्र.	अधिकारी का नाम	स्वीकृत वेतनमान	पात्रता की तिथि
1	2	3	4	5
1	29-अ	डॉ. के.के. अग्रवाल	16400-450-20000	01.01.2008
2	29-ब	डॉ. एस.के. सक्सेना	16400-450-20000	01.01.2008

1. उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान के प्रदाय करने के दौरान गणना में हुई त्रुटि की स्थिति पाई जाने पर समायोजन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 05/03/2018

पू.क्रमांक एफ 9-3/2018/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय, मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र.।
 4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 7. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध कराये तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
 10. संबंधित अधिकारीम.प्र.।
 11. आदेश नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:- आदेश :-

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1 :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 14-01/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अधीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारी को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने दर्शित आगामी वेतनमान वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स. क्र.	01.04.2004 की वरिष्ठता सूची में वरीयता क्र.	अधिकारी का नाम	स्वीकृत वेतनमान	पात्रता की तिथि
1	2	3	4	5
1	24	डॉ. श्रीमती रंजना गुप्ता	16400-450-20000 पुनरीक्षित वेतनमान- (37400-67000+ग्रेड-पे 8900)	02.10.2011

- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल विभाग को तथ्यात्मक जानकारी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से यदि कोई विशेषज्ञ वेतनमान पात्रता तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/दिवंगत हो गये हों अथवा त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो तो ऐसे विशेषज्ञों को उक्त स्वीकृत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान के प्रदाय करने के दौरान गणना में हुई त्रुटि की स्थिति पाई जाने पर समायोजन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 05/03/2018

पृ.क्रमांक एफ 1-10/2015/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
- प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेंवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

//2//

4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 5. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, खालियर।
 6. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश।
 9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
 10. संबंधित अधिकारी म.प्र.।
 11. आदेश नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A.N.
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 9-4/2018/सत्रह/मेडि-1 :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 14-01/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अधीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने दर्शित आगामी वेतनमान वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स.क्र.	वरीयता क्र. 01.04.2008	अधिकारी का नाम	स्वीकृत वेतनमान	पात्रता की तिथि
1	2	3	4	5
1.	105	डॉ. एच.एन. शर्मा	37400-67000+8900	27.08.2014
2.	138	डॉ. के.एन. शर्मा	37400-67000+8900	27.08.2014
3.	170	डॉ. शेखर जानवलकर	37400-67000+8900	27.08.2014
4.	171	डॉ. अनिल श्रीवास्वत	37400-67000+8900	27.08.2014
5.	186	डॉ. पी.गर्ग	37400-67000+8900	27.08.2014
6.	223	डॉ. गोपीकृष्ण अग्रवाल	37400-67000+8900	27.08.2014
7.	231	डॉ. डी.एन. गौतम	37400-67000+8900	19.09.2015
8.	234	डॉ. इन्द्र कुमार चुग	37400-67000+8900	18.09.2015
9.	239	डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन	37400-67000+8900	27.08.2014
10.	250	डॉ. मंजू सिंघई	37400-67000+8900	27.08.2014
11.	277	डॉ. श्रीमती सुधा अस्थाना	37400-67000+8700	27.08.2014
12.	305	डॉ. श्रीमती मोमिला के. जैनुद्दीन	37400-67000+8700	27.08.2014
13.	309	डॉ. एच.एन. सिंह	37400-67000+8700	27.08.2014
14.	353	डॉ. एम.एस. पंवार	37400-67000+8700	30.07.2015
15.	379	डॉ. श्रीमती आर. गोहिया	37400-67000+8700	19.09.2015
16.	380	डॉ. मोहन लाल बंजारे	37400-67000+8700	19.09.2015

1213

- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल विभाग को तथ्यात्मक जानकारी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से यदि कोई विशेषज्ञ वेतनमान पात्रता तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/दिवंगत हो गये हों अथवा त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो तो ऐसे विशेषज्ञों को उक्त स्वीकृत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान के प्रदाय करने के दौरान गणना में हुई त्रुटि की स्थिति पाई जाने पर समायोजन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


//2//

//2//

भोपाल, दिनांक 05/03/2018

पृ.क्रमांक एफ 9-4/2018/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
8. संचालक, गैस राहत एवं पुर्नवास, भोपाल, मध्य प्रदेश।
9. संचालक, कमला नेहरू, चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल, मध्य प्रदेश।
10. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
13. संबंधित समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
14. संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
15. संबंधित प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
16. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
17. संबंधित अधिकारी म.प्र.।
18. आदेश नस्ती।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग